**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Revision Petition No. 1779/2024

Farida Begum W/o Ayub Khan, R/o House No.3, Saiyad Colony, Char Darwaje Ke Ander, Gangapole, Jaipur.

----Applicant/Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Bhagwat Singh S/o Late Thakur Madan Singh @ Late Shri Muraddan, R/o Village Post Harmada, Nindad Mod And House No. 2556, Telipada, Chaura Rasta, Jaipur. (Since Deceased) through LR's

2/1. Ghanshyam Son Of Bhagwat Singh, Resident Of Village Post Harmada, Nindad Mod And House No. 2556, Telipada Chaura Rasta, Jaipur

2/2. Nandlal Son Of Bhagwat Singh, Resident Of Village Post Harmada, Nindad Mod And House No. 2556, Telipada Chaura Rasta, Jaipur

2/3. Gopal Singh Son Of Bhagwat Singh, Resident Of Village Post Harmada, Nindad Mod And House No. 2556, Telipada Chaura Rasta, Jaipur

2/4. Banwari Singh Son Of Bhagwat Singh, Resident Of Village Post Harmada, Nindad Mod And House No. 2556, Telipada Chaura Rasta, Jaipur

2/5. Bhawani Singh S/o Bhagwat Singh, Resident Of Village Post Harmada, Nindad Mod And House No. 2556, Telipada Chaura Rasta, Jaipur

2/6. Durgesh Kanwar Wife Late Shri Brij Bihari Singh, Resident Of Govind Niwas, Nindad Mod Ke Samne, Harmada Sikar Road, Jaipur And House No. 2566, Teli Paadaa Chaura Rasta Jaipur

----Respondents/Complainants

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Vinod Pathak, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Ms. Manju Dave, PP<br>Mr. Uma Kant Kumbhaj, Adv. |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Judgment / Order**

**08/09/2025**

धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पर सुना गया।

आवेदन में वर्णित कारणों को देखते हुए, जो विलम्ब हुआ है, उसे माफ किया जाता है। इसी अनुसार यह आवेदन स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

**S.B. Criminal Misc. 2nd Suspension of Sentence Application No. 374/2025:-**

याची/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्ता को सुना गया। विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

याची/अभियुक्ता को विचारण न्यायालय विद्वान **विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) क्रम संख्या–04, जयपुर महानगर** द्वारा प्रकरण संख्या–**38/2013** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित **18.07.2013** द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए **छः माह** के साधारण कारावास एवं **2,00,000**/–रूपये के अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया, जिसके विरूद्ध अभियुक्ता द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय न्यायालय, **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम–11, जयपुर महानगर** द्वारा फौजदारी अपील संख्या–**40/2013** में पारित निर्णय दिनांकित 30.01.2015 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धी व दण्डादेश को यथावत रखा गया।

सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अपीलीय न्यायालय के निर्णय के करीब 9 वर्ष पश्चात् अभियुक्ता द्वारा समर्पण किया गया है, इस दौरान परिवादी की मृत्यु हो चुकी है,

अभियुक्ता द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग किया गया है, फिर भी संपूर्ण परिस्थितियों व धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रावधानों की मंशा को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, यह द्वितीय दण्डादेश स्थगन आवेदन, अभियुक्ता द्वारा मृतक परिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को अदा करने के अनुक्रम में 1,50,000/–रूपये की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि याची/अभियुक्ता इस न्यायालय में दिनांक **09.10.2025** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए तथा आक्षेपित निर्णय दिनांकित **18.07.2013 एवं 30.01.2015** के तहत पारित **दण्डादेश (sentence)** के क्रियान्वयन को इस पुनरीक्षण याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

मृतक परिवादी के सभी विधिक प्रतिनिधिगण की ओर से अथवा उनकी ओर से अधिकृत एक या अधिक विधिक प्रतिनिधि की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका में असफल रहने की स्थिति में प्राप्तशुदा राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाये जाने बाबत् अण्डरटेकिंग दी जाती है तो जमाशुदा राशि मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण/प्रतिनिधि को अदा कर दी जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /01